[Shri M. L. Sondhi]

the Treasury Benches they should themselves come forward and say that they were prepared to tell the truth about Rabat and whether Shri Nehru was in favour of going to such conferences or not. Let the truth come out.

MR. CHAIRMAN : We shall consider this. You may come and discuss it with the Speaker and see how the matter could be brought befor the House.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : On Friday it was mentioned that the whole of Tatanagar and Jamshedpur has gone on strike and we have requested the Chair to direct that the Government should make a statement. It is very important matter. Would you be so kind as to direct the Government to make a statement before the House as to what steps they have taken to settle the strike in favour of the workers..... (*Interruption*) ?

ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो एडीशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्ज आफ स्पेशल इम्पार्टेन्स) एमेंडमेंट बिल पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। सरकार इस बिल के द्वारा राज्यों में एडीशनल एक्साइज ड्यूटीज की नेट प्रोसीड्स का जिस प्रकार बंटवारा करने जा रही है, उससे राज्यों में समानता की भावना नहीं, बल्कि विषमता की भावना बढ़ेगी। फिफ्थ फिनांस कमीशन ने कहा है कि राज्यों में एक्साइज ड्यूटीज की प्रोसीड्ज के बंटवारा के तरीके को रिवाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान तरीके से राज्यों में समानता की भावना नहीं आती है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक एडीशनल एक्साइज ड्यूटीज की प्रोसीड्ज को उसके द्वारा बनाये गये तरीके के अनुसार बांटना चाहिए। सरकार ने इस बिल में कहा है कि मौजूदा व्यवस्था के बारे में कमीशन की सिफारिश को नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सामने रखा जायेगा और तब तक कमीशन द्वारा बनाये गये तरीके के अनुसार बंटवारा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिफ्थ फिनांस कमीशन ने यह भी सिफारिश की है कि देश में एक पर्मानेंट फिनांस कमीशन मुकर्रर किया जाये, क्योंकि हर पांच साल के बाद एक फिनांस कमीशन मुकर्रर करने से राज्यों में बंटवारा सही और उचित रूप से नहीं होता है। जिस डायनामिक तरीके से और तेजी से हम बढ़ रहे हैं, उसको दृष्टि में रखते हुए सरकार को एक पर्मानेंट फिनांस कमीशन मुकर्रर करना चाहिए और उसकी सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों में बटवारा हो। जैसा कि मैंने कहा है, मौजूदा तरीके से बंटवारा करने से राज्यों में समानता की भावना नहीं, बल्कि विषमता की भावना बढ़ेगी। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

SHRI P. C. SETHI : Sir, the hon. Member has not raised any valid point. As for as the recommendations of the Fifth Finance Commission are concerned, they would be placed by the National Development Council as has been stated in the Statement of Objects and Reasons. Till such time the recommendations are placed, the present arrangement is to contiune. The present Bill is only limited to that extent. The question of appointing a permanent Finance Commission is not within the purview of the present Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is ;

"That leave be granted to introduce

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 24.11.69.

a Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce* the Bill.

12.58 hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill. I will first place the motion before the House.

Motion Moved :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, be taken into consideration."

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : सभापति महोदय, इस विधेयक की भावना से मेरा मतभेद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की सुविधायें सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य लोगों को भी दी जानी चाहिए । इन सुविधाओं का दायरा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस दया भाव से, या जिन मजबूरियों को दृष्टि में रखते हुए, मिनिस्टरों को यह सुविधा दी जा रही है, सरकार के अधीन कार्य करने वाले अन्य वर्ग भी उसके अधिकारी हैं और उन्हें भी वैसी ही मजबूरियों का सामना करना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को भी यह सुविधा दी जाये और इसका कहीं न कहीं समावेश किया जाये । मैं समझता हूं कि समाज में एक सुविधा-प्राप्त वर्ग, स्ट्रेटा अथवा सेक्सन का बनता जाना समाज की वर्तमान विषमता को और अधिक बढ़ाना है ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue after lunch.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर, इस विधेयक का मंशा बहुत साफ है । देखने में यह विधेयक बहुत छोटा है । लेकिन इसके पीछे अन्तर्निहित भावनाएं ऐसी हैं जिन पर विवाद हो सकता है और होगा । मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक के पेश करने के पीछे जो भावना काम कर रही है कहीं इस भावना का विस्तार हुआ तो इसी तरह की सुविधाएं पहले सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों के लिए, फिर पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिए, और अंत में विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी हो जायं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई इस तरह की सुविधा देना भी चाहती है, विशेष रूप से किसी को आवास की सुविधा प्रदान करना भी चाहती है, तो उसकी शुरुआत नीचे से क्यों नहीं होती है ? उनसे जो सबसे अकिंचन हैं, जो सब सुविधाओं से, सब चीजों से वंचित हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं है या बहुत कम है, शुरुआत वहां से क्यों नहीं होती है ? इसलिए इसके पीछे अन्तर्निहित भावनाओं का समर्थन मैं नहीं कर पा रहा हूं ।

मान्यवर, आज हम सभी इस बात से अवगत है कि आवास की समस्या कितनी भयंकर है । सारे देश में लगभग 50 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सिर पर ओढ़ने के लिए केवल आसमान है और नीचे बिछाने के लिए केवल धरती है । ऐसे लोग फुटपाथों पर जीवन व्यतीत करते है । कलकत्ते, बम्बई, मद्रास कानपुर जैसे देश के बड़े-बड़े शहरों में ऐसे वीभत्स दृश्य

*Introduced with the recommendation of the President.